

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 24 नवम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत विभिन्न 5 कार्यों हेतु द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 5 विस्तृत आगणनों, जिनकी लम्बाई 5.90 किमी. एवं लागत ₹ 358.39 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 325.47 लाख (₹ तीन करोड़ पच्चीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 5 कार्यों हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रेक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 593/XXVII(2)/2020 दिनांक 20 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या- (1)/III(2)/20-10(प्रा.आ.)/2017TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
11. गार्ड फाईल।

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं निदेशक
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

आज्ञा से,
(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रमाणित - 1048/2048/20/20

दि 05/12/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संख्या के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1) मुख्य अभियन्ता लोकनि.वि, हल्द्वानी
- 2) अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लोकनि.वि, नैनीताल।
- 3) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोकनि.वि, हल्द्वानी।

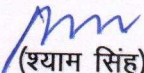
(वाईएस रावत)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

संख्या- 2/11 /III(2)/20-10(प्रा.आ.)/2017 दिनांक 24 नवम्बर, 2020 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. स.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र- लालकुआँ के अन्तर्गत ग्रामसभा गंगापुर के आन्तरिक मार्गों का नवनिर्माण कार्य।	0.725	53.54	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र- लालकुआँ के अन्तर्गत ग्रामसभा पदमपुर देवलिया एवं जयपुर खीमा के आन्तरिक मार्गों का नवनिर्माण कार्य।	0.625	46.68	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र- लालकुआँ के अन्तर्गत ग्रामसभा बमेठा बंगर केशव के आन्तरिक मार्गों का नवनिर्माण कार्य।	0.700	52.45	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र- लालकुआँ में बिन्दुखत्ता के आन्तरिक मार्गों में इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्गों का निर्माण कार्य।	2.050	128.93	0.10
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र- लालकुआँ के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर से गाँव के अन्दर गौजाजाली दक्षिण तक पी.सी. द्वारा मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य।	1.800	43.87	0.10
कुल योग :-		5.90	325.47	0.50

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -2111/III(2)/20-10(PE)/2017
 अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20110220031
 आवंटन पत्र दिनांक-24-NOV-2020

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-वृहद निर्माण				1910000		50000		0		1960000		
योग				1910000		50000		0		1960000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,000 (Rupees Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER